भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5395

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत नगर/शहरी स्थानीय निकाय

5395. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री कार्तिक चन्द्र पॉलः

सुश्री बाँसुरी स्वराजः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कितने नगर/शहरी स्थानीय निकाय शामिल किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा जनवरी 2025 तक स्वीकृत आवासों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) लाभार्थियों को वितरित किए गए आवासों की राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि देश भर में पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, अभी तक भारत के 4,618 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से, 112.74 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है और दिनांक 24.03.2025 तक 92.02 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव

किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत और पूर्ण/सौंप गए आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 3.53 लाख आवासों के निर्माण को अनुमोदित किया गया है।

दिनांक 03-04-2025 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5395 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सौंपे गए आवासों के साथ-साथ शहरों/शहरी स्थानीय निकायों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण शामिल किया गया है।

क्रम सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन में शामिल शहर	वास्तविक प्रगति (संख्या)		
				स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण हो चुके/ सौंपे गए आवास
1		आंध्र प्रदेश	111	21,37,028	18,26,426	10,46,077
2		बिहार	142	3,14,477	2,92,162	1,76,880
3		छत्तीसगढ	173	3,02,663	2,85,102	2,54,208
4		गोवा	14	3,146	3,146	3,145
5		गुजरात	171	10,05,204	9,79,707	9,42,094
6		हरियाणा	80	1,15,034	90,569	70,119
7		हिमाचल प्रदेश	61	12,758	12,640	11,159
8		झारखंड	51	2,29,156	2,10,617	1,57,280
9		कर्नाटक	286	6,38,121	5,13,203	3,87,441
10		केरल	93	1,67,322	1,54,725	1,32,836
11	रा	मध्य प्रदेश	408	9,61,147	9,44,082	8,56,122
12		महाराष्ट्र	391	13,64,923	11,49,749	9,68,179
13		ओडिशा	116	2,03,380	1,84,673	1,59,991
14		पंजाब	167	1,32,235	1,18,358	96,944
15		राजस्थान	279	3,19,877	2,93,667	2,24,146
16		तमिलनाडु	666	6,80,347	6,62,745	6,03,487
17		तेलंगाना	142	2,50,084	2,34,737	2,23,329
18		उत्तर प्रदेश	669	17,76,823	17,59,477	16,88,125
19		उत्तराखंड	102	64,391	62,733	39,547
20		पश्चिम बंगाल	125	6,68,953	6,05,350	4,55,706
उप-योग (राज्य) :-			**4,247**	**1,13,47,069**	**1,03,83,868**	**84,96,815**
21		अरुणाचल प्रदेश	47	8,499	8,070	8,067
22		असम	102	1,76,643	1,69,078	1,23,248
23		मणिपुर	28	56,037	49,357	16,769
24		मेघालय	10	4,758	4,044	1,907
25	रा	मिजोरम	23	39,605	39,097	24,861
26	पू	नागालैंड	32	31,860	31,060	28,497
27	उ	सिक्किम	8	316	299	202
28		त्रिपुरा	20	92,854	88,007	77,052

उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य) :-			**270**	**4,10,572**	**3,89,012**	**2,80,603**
29		अंडमान निकोबार द्वीप	1	376	376	47
30		चंडीगढ़	1	1,256	1,256	1,256
31		दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव	3	9,947	9,947	9,450
32		दिल्ली	5	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	78	47,040	42,055	30,860
34		लद्दाख	2	1,307	991	877
35	सं	लक्षद्वीप	5	-	-	-
36		पुदुचेरी	6	15,995	15,931	11,009
उप-योग (यूटी) :-			**101**	**1,05,897**	**1,00,532**	**83,475**
कुल योग :-			4,618	118.64 लाख	112.74 लाख*	92.02 लाख*

*इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण हो चुके (3.41 लाख)/निर्माणाधीन (4.01) आवास शामिल हैं।